रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092022-238929 CG-DL-E-20092022-238929

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628] No. 628] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 19 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 709(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 170क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (इकतीसवां संशोधन) नियम, 2022 है।
 - (2) ये 1 नवंबर, 2022 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 12कग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:--
 - '12कघ. धारा 170क के अधीन आय की विवरणी—(1) किसी निर्धारण वर्ष के लिए, धारा 170क में यथा निर्दिष्ट, किसी कारबार पुनर्गठन की उत्तराधिकार इकाई द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आय की संशोधित विवरणी, प्ररूप आईटीआर-क में होगी और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित की जाएगी।
 - (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आय की विवरणी अंकीय हस्ताक्षर के साथ इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी ।

6248 GI/2022 (1)

- (3) यदि किसी पूर्ववर्ष, जिसको कारबार पुनर्गठन का आदेश लागू होता है, से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए, धारा 170क के उपबंधों के अनुसरण में संशोधित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को, निर्धारण या पुन:निर्धारण कार्यवाहियां पूरी हो चुकी हैं या लंबित है, तो निर्धारण अधिकारी, कारबार पुनर्गठन के आदेश और इस प्रकार प्रस्तुत संशोधित विवरणी के अनुसरण में, यथास्थिति, ऐसे निर्धारण या पुन:निर्धारण में अवधारित सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय को उपांतरित करते हुए आदेश पारित करेगा, या निर्धारण या पुन:निर्धारण कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए प्रवृत्त होगा।
- (4) आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), डाटा को सुरक्षित रूप से लेने और पारेषण के लिए प्रक्रियाएं, प्ररूप और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखी और पुन:प्राप्ति नीतियों के विकास और कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगा ।'।
- 3. मूल नियम के परिशिष्ट 2 में,--
 - (I) 1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष या किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के लिए, प्ररूप आईटीआर-6 के भाग क--सामान्य में, क्रम संख्यांक (क19)(क)(i) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ক19) (ক)	(i) जिस धारा के अधीन फाइल	🔲 139(1)- नियत तारीख को या उससे पहले,					
	की गई है, उसे <i>(</i> टिक <i>)</i> करे	🔲 139(4)- नियत तारीख के पश्चात्,					
	[कृपया अनुदेश देखें]	🔲 139(5)- पुनर्रीक्षित विवरणी, 🔲 92गघ- संशोधित विवरणी,					
		🔲 119(2) (ख) – विलंब की माफी के पश्चात्,					
🖂 170क- अधिकरण या न्यायालय के आदेश के पश्चात् ।";							
(II) आईटी	आर-पावती के पश्चात, निम्नलिखि	त प्ररूप आईटीआर-क (धारा 170क के अधीन आय-कर विवरणी) अंत:स्थापित					

(II) आईटीआर-पावती के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप आईटीआर-क (धारा 170क के अधीन आय-कर विवरणी) अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

F		भारतीय आय-कर विवरणी
क्ष	आईटीआर-क	[कारबार पुनर्गठन के परिणामस्वरूप धारा 170क के अधीन उत्तराधिकार इकाइयों के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी]
4	आ २८।आ ८ ।	/पात्रता के लिए अनुदेश देखें <i>)</i>
		<i>(</i> आय-कर नियम, 1962 का नियम 12कघ देखें <i>)</i>

भाग क सामान्य सूचना – 170क									
(अ1): आय की विवरणी फाइल करने वाली उत्तराधिकार इकाई का ब्यौरा दें :									
(अ1क) (अ1ख) उत्तराधिकार इकाई का नाम का नाम जिल्ला करने वाली उत्तराधि कार इकाई का पैन	(अ1ग) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी निगमित पहचान संख्यांक (सीआईएन)	(अ1घ) निगमन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	(अ1ङ) कारबार आरंभ की तारीख (दिन/मास/वर्ष)						
(अ2) : ठहराव/कारबार पुनर्गठन की स्कीम में अन्य उत्तराधिकार इकाइयों	का ब्यौरा दें :								
(अ2क) अन्य उत्तराधि- कार इकाई का (इकाइयों के) पैन	(अ2ग) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी निगमित पहचान संख्यांक (सीआईएन)	(अ2घ) निगमन की तारीख (तारीखें) (दिन/मास/वर्ष)	(अ2ङ) कारबार आरंभ की तारीख (तारीखें) (दिन/मास/वर्ष)						

(अ3): पूर्वाधिकार इकाई का ब्यौरा दें :								
(अ3क) पूर्वाधिकार इकाइयों का (के)				(अ3घ) निगमन की तारीख (तारीखें) (दिन/मास/वर्ष)	(अ3ङ) कारबार आरंभ की तारीख (तारीखें) (दिन/मास/वर्ष)			
पैन	(-5)		(
(अ4) निर्धारण वर्ष / कृपया अनुदेश देखें <i>]</i>	(अ 5) क्या इस निर्धारण वर्ष के लिविवरणी पहले फाइल की गई है?□ हां □ नहीं	नए	(अ6) यदि हां, क्या धारा □ 139(1) □ अन्य (ड्राप डाउन) के अधीन फाइल की गई है					
(अ7) मूल विवरणी का फाइल किया गय	ा प्ररूप. पावती	पावती सं.						
सं. या रसीद सं. और फाइल करने की ता (दिन/मास/वर्ष) प्रविष्ट करें		और फाइल करने की तारीख	न					
(अ 8) कारबार पुनर्गठन के आदेश का ब्य	गैरा :							
(अ8क) कारबार पुनर्गठन का आदेश पानि	रेत करने वाला प्राधिकारी	□ उच्च न्यायालय □ धारा 170क में निर्दिष्ट प्राधिकरण □ शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 के खंड (1) में यथापरिभाषित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी						
(अ8ख) आदेश की तारीख			7 11 11 13 11 13		<u> </u>			
(अ8ग) आदेश सं0								
(अ8घ) तारीख, जिससे आदेश के अनुसार	र कारबार पुनर्गठन प्रभावी किया ग	या है।						
(अ9) कृपया धारा 170क के अधीन, क करने वाली, आईटीआर-6 अपलोड करें।	~	उपांतरित						
(अ10) उपांतरित विवरणी की पावती स	तं0 और फाइल करने की तारीख (प्र	स्तुतीकरण			1 1			
के समय स्वत: भरी जाएगी)								
	सत्य	ापन						
में	सुपुत्र/सुपुत्री			घोषणा करता	/ करती हूं कि मेरी			
सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के उ								
के अनुसार है । मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं (ड्राप-डाउन उपलब्ध कराए जाएं) की अपनी हैसियत से यह विवरणी दे रहा हूं और मैं यह विवरणी देने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूं । मैं स्थायी खाता संख्या								
मैं यह और घोषणा करता/करती हूं ि अनुपालन कर दिया गया है ।	के मैं सक्षम प्राधिकारी द्वारा पार्	रित कारबा	र पुनर्गठन के अ	गादेश में विनिर्दिष्ट नि	बंधनों और शर्तों का			
तारीख :				हस्ताक्षर :'।				

[अधिसूचना सं.110/2022,/फा.सं. 370142/41/2022–टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 697(अ) तारीख 14 सितंबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2022

G.S.R 709(E).—In exercise of the powers conferred by section 170A read with section 295 of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Income-tax (31st Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force from the 1st day of November, 2022.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 12AC, the following rule shall be inserted, namely:—
- **'12AD. Return of income under section 170A.** (1) The modified return of income to be furnished by a successor entity to a business reorganisation, as referred to in section 170A, for an assessment year, shall be in the Form ITR-A and verified in the manner specified therein.
- (2) The return of income referred to in sub-rule (1) shall be furnished electronically under digital signature.
- (3) If the assessment or reassessment proceedings for an assessment year relevant to a previous year to which the order of the business reorganisation applies have been completed or are pending on the date of furnishing of the modified return in accordance with the provisions of section 170A, the Assessing Officer shall, pass an order modifying the total income of the relevant assessment year determined in such assessment or reassessment, or proceed to complete the assessment or reassessment proceedings, as the case may be, in accordance with the order of the business reorganisation and the modified return so furnished.
- (4) The Principal Director-General of Income-tax (Systems) or Director-General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to furnishing the return in the manner specified in sub-rule (2).'.
- 3. In the principal rules, in Appendix-II,—
- (I) in Form ITR-6, for every assessment year commencing on the 1st day of April, 2022 or any earlier assessment year, in the Part A-GEN, for entries of serial number (A19)(a)(i), the following shall be substituted, namely:—

"(A19) (a)	(i)Filed u/s (Tick)	$\Box 139(1)$ - On or before due date, $\Box 139(4)$ - After due date, $\Box 139(5)$ -
	[Please see instructions]	Revised return, □ 92CD - Modified return, □ 119(2)(b) - After condonation of delay, □ 170A - After order by the
		tribunal or court.";

(II) after the ITR – Ack, the following Form ITR-A (ITR under section 170A) shall be inserted, namely:—

RM		INDIAN INCOME TAX RETURN
0	ITR-A	[For successor entities to furnish return of income under section 170A consequent to business reorganisation] (Refer instructions for eligibility)
"F		(Please see rule 12AD of the Income-tax Rules, 1962)

PART A GENERAL INFORMATION – 170A										
(A1): Give details of the successor entity filing the return of income:										
(A1a) PAN (A1b)Name of (A1c) Corporate (A1d) Date of (A1e) Date of										
of		successor entity	Identity Number	incorporation	commencement					
successor			(CIN) issued by	(DD/MM/YYYY)	of business					
entity filing			MCA		(DD/MM/YYYY)					
the return										
(A2): Give details of the other successor entities in the scheme of arrangement/business reorganisation:										

[27777]]	—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	-
1 24 141 11—	— ∜ au.≂ 11111	#14G 20141/21A3 (24M15)14A1	1

(A2a) PAN	(A2b) Naı	ne(s) of	(A2c) Co	orporate (A2d) Date (s) of (A2							(A2e) Date (s) of					
(s) of other	successor entities Ident			ntity Number (s)				incorporation				commencement				t
successor	(CIN) iss			sued by (DD/MM/YYYY)					Y)	of business						
entities			MCA									(D	D/N	IM/Y	ΥY	Y)
(A3): Give details of the predecess	or entities:						•									
(A3a)	(A3b) Naı	ne (s) of	(A3c) Co	rpora	ite		(A3	3d)]	Date	e (s)	of	(A	3e)	Date	(s) /	
PAN(s) of	predecess	or entities	Identity 1	Numb	oer ((s)	inc	orp	orat	ion		Year of				
the			(CIN) iss	ued b	y		(DI	D/M	[M/	YYY	Y)	co	mm	encer	nen	t
predecessor			MCA									of	bus	iness		
entities												(D	D/N	IM/Y	ΥY	Y)
(A4) Assessment Year [Please see	(A5) whether	r return previo	usly filed	(A6)	If y	es,										
instruction]	for this asses	sment year?		Whe	ethe	r fil	ed u/s	s 🗖	139	(1)	JOt	her	s (d	rop d	lowi	1)
	☐ Yes ☐ No															
(A7) Enter form filed, Acknowledg	gement no.		Ack no													
or Receipt No. and Date of filing o	riginal	ITR-6	and date	e										/	/	
return (DD/MM/YYYY)			of filing													
(A8) Details of order of business re	eorganisation:															
				ПН	igh	Cor	ırt									
(A8a) Authority passing the order	of husiness no	orgonication		☐ Tribunal as referred to in section 170A												
(Aoa) Authority passing the order	of business re	organisation		☐ Adjudicating Authority as defined in clause (1)												
			of section 5 of IBC, 2016													
(A8b) Date of order																
(A8c) Order No.																
(A8d) Date from which the business reorganisation has been made																
effective as per the order																
(A9) Please upload ITR-6 u/s 170A, modifying the income for the relevant AY.																
(A10) Acknowledgement no. and Date of filing of the modified return																,
(will be auto-filled at the time of su														/	/	

VERIFICATION

I,	son/daughter of	solemnly declare that to the best of	f my knowledge and
belief, the infor	rmation given in the return is correc	ct and complete and is in accordance with th	ne provisions of the
Income-tax Act	t, 1961. I further declare that I am n	naking this return in my capacity as	(drop down to
be provided) as	nd I am also competent to make thi	s return and verify it. I am holding permane	nt account number
(Please see inst	truction).		
I further decla	re that the terms and conditions sp	pecified in the order of business reorganisa	ution passed by the
Competent Aut	hority have been complied with.		

[Notification No. 110/2022/F.No. 370142/41/2022-TPL]

Signature:.

SHEFALI SINGH, Under Secy.

Note:- The principal rules were published *vide* notification S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification G.S.R. 697.(E), dated 14th September, 2022.

Date: